


अ
क

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख
हुक्म

पेना कर देना बयान अवसर दिया
 जा चुका है, लेकिन पेना अवसरदिये
 जाने के कारण भी आज दिनांक तक
 जमिल की रसीद पेना नहीं दी। अतः
 प्राणी का आवहन अर्थात् खंड 2 व 2
 शाल काशन. दधि. अर्थात् थोड़ा 3
 नियम 5 के तहत खादिल किया जाना
 है। पत्रावली के तहत शुमार होना बखर
 से कम होकर हाथिल रहना है।



अखण्ड अफिसरी, दांतासंगढ